न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दूदू

बइजलास :– डॉ. अर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 27/2022 पुनः दर्ज नम्बर 03/2023 (रसद अपील)

मैसर्स राजेन्द्र कुमार बैरवा उचित मूल्य का दुकानदार, पंचायत सेवा वितरण केन्द्र, ग्राम सूरजपुरा पोस कोड 30557 उपखण्ड दूदू

(अपीलार्थी)

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर राजस्थान

(प्रत्यर्थी/प्रतिवादी)

अपील अन्तर्गत धारा 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 79/2021 निर्णय दिनांक 12.4.2022 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त कर धरोहर राशि 1000/–रूपये जब्त सरकार करने के आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्र बैरवा उचित मूल्य दुकानदार स्वंय अपीलार्थी ।
2. जिला रसद अधिकारी दूदू प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की और से ।

न्यायालय जिला कलक्टर दूदू (राज0)

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांक :– 16.1.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी मैसर्स ग्राम राजेन्द्र कुमार बैरवा उचित मूल्य दुकानदार की उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत सेंवा वितरण केन्द्र सूरजपुरा उपखण्ड दूदू का प्राधिकार पत्र निरस्त कर धरोहर राशि 1000/– रूपये जब्त सरकार करने के आदेश से व्यथित होकर अपील पेश की गई है।

2. यह अपील जिला कलक्टर जयपुर से नवसृजित जिला दूदू के क्षैत्राधिकार की होने से पत्रावली जिला कलक्टर जयपुर से इस न्यायालय में स्थानान्तरित होने से अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी/प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड पूर्व से ही संलग्न पत्रावली है। प्रत्यर्थी की और से जिला रसद अधिकारी दूदू उपस्थित है। अपीलार्थी स्वंय उपस्थित है।

3. बहस उभयपक्ष सुनी गई।

4. अपीलार्थी ने अपील के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी उचित मूल्य दुकानदार की उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत सेंवा वितरण केन्द्र सूरजपुरा उपखण्ड दूदू जिला दूदू का प्राधिकारधारक दुकानदार है, जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के प्रावधानो के तहत प्राधिकार पत्र मिला हुआ था । अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तो व निर्बन्धनों सरकार के अधिसूचित आदेशो एव सक्षम अधिकारियों के निर्देशानुसार खाद्यान्न का वितरण नियमानुसार करता हूँ। दिनांक 26.10.21 एवं 28.10.21 को प्रवर्तन अधिकारी दूदू द्वारा निरीक्षण करने पर दिनांक 26.10.21 को मेरी दुकान बंद होना एवं परिवर्तित व्यवसाय स्थल से वितरण करना, व्यवसाय स्थल के बाहर मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड का प्रदर्शन नही होना एवं भौतिक सत्यापन पर 378.830 किलो गेहूं स्टॉक में कम पाया जाना बताकर मेरे विरूद्व कार्यवाही कर जिला रसद अधिकारी महोदय ने दिनांक 14.4.2022 को आदेश पारित कर मेरे प्राधिकार पत्र को निरस्त कर दिया गया है, जबकि भौतिक सत्यापन के दौरान मौके पर पूरा स्टॉक मौजूद था जिन कटटो में से वितरण किया जा चुका था उन आधे खुले कट्टो को जबरन तुलवाया गया मौके पर खुला हुआ गेहूं जो नीचे बिखरा हुआ था उसको नही तोला गया । जबरन स्टॉक कम मानकर कार्यवाही की गई है। दिनांक 26.10.21 को रिश्तेदार की मृत्यु होने से दुकान बंद रह गई थी। प्रार्थी की दुकान में सामग्री रखने के लिए जगह कम होने की वजह से पास में ही दूसरी दुकान में सामान रखा हुआ था। इस प्रकार अपीलार्थी ने गबन नही किया है। अपीलार्थी एक गरीब अनुसूचित जाति का सदस्य है। प्राधिकार पत्र निरस्त होने से अपीलार्थी के परिवार पर रोजी रोटी का संकट है। अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य दस्तावेज पेश करने का मौका ही नही दिया गया है। इसलिए अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन

न्यायालय जिला कलक्टर दूदू (राज0)

जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner

आदेश दिनांक 12.4.22 को अपास्त फरमाया जाकर प्राधिकार पत्र एवं प्रतिभूति राशि बहाल किये जाने के आदेश फरमावे।

5. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की और से जिला रसद अधिकारी दूदू ने अपीलार्थी के तर्को का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि दिनांक 26.10.21 को वरवक्त निरीक्षण अपीलार्थी की दुकान बंद पाई गई थी, दुकानदार ने बिना अनुमति के व्यवसाय स्थल परिवर्तित कर लिया था एवं दुकान के बहार मूल्य व स्टॉक सूची बोर्ड का प्रदर्शन किया हुआ नही था जो प्राधिकार पत्र की शर्तो का उल्लघंन है। मौके पर स्टॉक का भौतिक सत्यापन करने पर 378.830 किलो गेहूं का स्टॉक कम पाया गया। इसलिए जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित आदेश उचित है । अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6 उभयपक्ष की बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया । पत्रावली का भलीभॉती अवलोकन किया गया।

7. अपीलार्थी पर मुख्य आरोप है कि भौतिक सत्यापन करने पर 378.830 किलो गेहूँ कम पाया गया । अपीलार्थी ने जिला रसद अधिकारी को प्रस्तुत जवाब व बहस में बताया है कि वरवक्त निरीक्षण अपीलार्थी के पास 538 कटटो में 269 क्विटंल गेहूँ रखा हुआ था एवं इन कटटो के आस पास 378.830 किलो गेहूँ खुला पडा था जिसकी गणना प्रवर्तन अधिकारी द्वारा नही की गई इस कारण से स्टॉक कम माना है, यदि खुला पडा गैहूँ का वजन कर लिया जाता तो गेहूँ पूर्ण रूप से पाया जाता। हम अपीलार्थी के तर्को से सहमत है। इसलिये अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

8. जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.4.22 को निरस्त किया जाता है अपीलार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र व धरोहर राशि बहाल किये जाने का आदेश दिये जाते है।

9. जिला रसद अधिकारी दूदू को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई अनियमितता मानते है, तो प्रकरण में पुनः जॉच कराकर एवं अपीलार्थी को सुनवाई एव साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करे।

10. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी दूदू को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

11. निर्णय आज दिनांक 16.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 अर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर
दूदू (राज0)

Scanned with OKEN Scanner